संख्या– 1025 /VI/2006–5(6)2006

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अनुसचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून ।

पर्यटन अनुभाग:

देहरादून दिनांक 10 अक्टूबर, 2006

विषयः जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत पर्यटन विकास की योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में धनराशि की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–216/2–6–471/2006–07, दिनांक 04 अगस्त, 2006 तथा पत्र संख्या–136/2–6–471/2006–07, दिनांक 29 जून, 2006 के सन्दर्भ में श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2006–07 में जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत प्रस्तुत पर्यटन विकास की निम्नलिखित नई योजनाओं हेतु रू0 97.28 लाख के आगणन के तकनीकी परीक्षणोपरांत संस्तुत रू0 88.25 लाख (रूपये अठ्ठासी लाख पच्चीस हजार मात्र) की लागत के आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2006–07 में दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 स0	योजना का नाम	योजना की लागत	टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत/स्वीकृत की जा रही धनराशि	निर्माण इकाई
	जनपद–देहरादून			
1	विराटखाई (चकराता) में यात्री शेड का निर्माण	2.28	2.10	जी0एम0वी0एन0, देहरादून।
2	नागथात (चकराता) में यात्री शेड का निर्माण	2.02	1.80	–तदैव–
3	दशऊ में यात्री शेड, सार्वजनिक शौचालय तथा मंदिर परिसर का सौ0	15.96	11.75	–तदैव–
4	मखाटी (चकराता) में यात्री शेड का निर्माण	2.02	1.80	–तदैव–
	जनपद–पिथौरागढ़			
6	ग्राम सभा दर से पंचाचूली बेस कैम्प तक सामुदायिक मिलन केन्द्रों तथा सम्पर्क मार्ग का निर्माण	75.00	70.80	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा पिथौरागढ़।
	कुल योग–	**97.28**	**88.25**	

(रूपये अठ्ठासी लाख पच्चीस हजार मात्र)

2–उक्त धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या–943/VI/2006–2(20)2006, दिनांक 04 अक्टूबर, 2006 द्वारा निदेशक, पर्यटन के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से ही किया जायेगा।

3–उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के हेतु पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करा लें ।

5–कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

6–कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

8–कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।
9–कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें ।
10–आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।
11–निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।
12–कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी तथा बाढ व नदी के बहाव आदि से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं का परीक्षण निर्माण एजेन्सी द्वारा निर्माण से पूर्व कर लिया जाएगा जिससे भविष्य में किसी प्रकार की समस्या न हो।
13–उक्त स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31–03–2007 तक पूर्ण उपयोग कर धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा तदोपरान्त ही अवशेष अथवा दूसरी किस्त अवमुक्त की जायेगी।
14–कार्य प्रारम्भ के समय सम्बंधित निर्माण एजेन्सी कार्यस्थल पर इस आशय का एक साईन बोर्ड स्थापित करेगा कि उक्त योजना/कार्य पर्यटन विभाग, उत्तरांचल के सौजन्य से किया जा रहा है, योजना प्रारम्भ करने का समय, इसकी लागत, पूर्ण करने का समय तथा कार्यदायी संस्था का विवरण भी अंकित किया जायेगा। सम्बन्धित जिला पर्यटक विकास अधिकारी उक्त कार्य का समय–समय पर भौतिक निरीक्षण कर कार्य की भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह शासन को अवगत करायेगें एवं कार्य पूर्ण होने की सूचना व योजना का फोटोग्राफ्स अवश्य शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करायेगा।
15–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 के अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–02–अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान–02–पर्यटन विकास की नई परियोजनाएं–24–वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।
16–उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–894/XXVII(2)/2006, दिनांक 28 सितम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या– 1025 /VI/2006–5(6)2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3–जिलाधिकारी, देहरादून,पिथौरागढ़ ।
4–निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
5–निजी सचिव,मा0 पर्यटन मंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
6–निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
7–जिला पर्यटन विकास अधिकारी, देहरादून,पिथौरागढ़।
8–वित्त अनुभाग–2,
9–श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
10–अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
11–एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय परिसर।
12–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)